



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 478]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जनवरी 31, 2019/माघ 11, 1940

No. 478]

NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 31, 2019/MAGHA 11, 1940

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 जनवरी, 2019

का.आ. 591(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि कर्नाटक राज्य के गुलबर्गा जिले में NH150 के कि.मी. 34 से कि.मी. 70.9 (यादगीर) तक के भू-खण्ड के निर्माण (चौड़ीकरण/पेव्ड शोल्डर सहित 2-लेन/4-लेन का बनाना आदि), अनुरक्षण, प्रबन्धन और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई भी व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितवद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर अपनी आपत्ति प्रकट कर सकेगा।

ऐसी प्रत्येक आपत्ति सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् कमिश्नर को लिखित रूप में प्रस्तुत की जाएगी और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आपत्तिकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधिक पेशेवर द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसी आपत्तियों की सुनवाई के पश्चात् तथा ऐसी और जाँच करने के पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आपत्तियों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के रेखांक और अन्य व्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

कर्नाटक राज्य के गुलबर्गा जिले में NH150 के कि.मी. 34 से कि.मी. 70.9 (यादगीर) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण।

राज्य का नाम: कर्नाटक		जिले का नाम: गुलबर्गा			
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (स्थानीय इकाई)	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
तालुक का नाम: चित्तपुर					
गांव का नाम: बसवेश्वर नगर					
1	15	निजी	ड्राई	0.0140000(हेक्टेयर)	0.0140000
गांव का नाम: हलकट्टा					
1	605	निजी	ड्राई	0.9308000(हेक्टेयर)	0.9308000
2	627	निजी	ड्राई	0.6172000(हेक्टेयर)	0.6172000
गांव का नाम: लाडलापुर					
1	241	निजी	ड्राई	0.0026000(हेक्टेयर)	0.0026000
2	281	निजी	ड्राई	0.0039000(हेक्टेयर)	0.0039000
3	282	निजी	ड्राई	0.0071000(हेक्टेयर)	0.0071000
4	283	निजी	ड्राई	0.0030000(हेक्टेयर)	0.0030000
5	323	निजी	ड्राई	0.5546000(हेक्टेयर)	0.5546000
गांव का नाम: वाड़ी (एनएमसिटी)					
1	49	निजी	ड्राई	0.0668000(हेक्टेयर)	0.0668000
2	50	निजी	ड्राई	0.0010000(हेक्टेयर)	0.0010000
कुल				2.2010	2.2010

[फा. सं. NH-12014/29/2016-KNT(P-6)/3A4]

राजेश गुप्ता, उप सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st January, 2019

S.O. 591(E).—In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for Widening to

two/four lane with paved shoulders from Km 34.00 to 70.90 (Chittapur Cross to Start of Yadgir Bypass) of NH150 of Gulbarga-Wadi-Yadgir Section(Assistant Commissioner Minividhan Saudha Yadgir) in the district of Gulbarga in the state of KARNATAKA, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section(1) of section 3C of the said Act.

Every such objection shall be made to the Competent Authority, namely, Assistant Commissioner in writing and shall set out the grounds thereof and the Competent Authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the Competent Authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of section 3C of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land to be acquired under their notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

SCHEDULE

Widening to two/four lane with paved shoulders from Km. 34.00 to 70.90 (Chittapur Cross to Start of Yadgir Bypass) of NH150 of Gulbarga-Wadi-Yadgir Section (Assistant Commissioner Minividhan Saudha Yadgir) in the district of Gulbarga in the state of KARNATAKA.

State: KARNATAKA		District: Gulbarga			
Sl. No.	Survey / Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Local Unit)	Area (in Hectare)
Taluk: Chittapur					
Village: Basveshvar Nagar					
1	15	Private	Dry	0.0140000(Hectare)	0.0140000
Village: Halkatta					
1	605	Private	Dry	0.9308000(Hectare)	0.9308000
2	627	Private	Dry	0.6172000(Hectare)	0.6172000
Village: Ladlapur					
1	241	Private	DRY	0.0026000(Hectare)	0.0026000
2	281	Private	DRY	0.0039000(Hectare)	0.0039000
3	282	Private	DRY	0.0071000(Hectare)	0.0071000
4	283	Private	DRY	0.0030000(Hectare)	0.0030000
5	323	Private	DRY	0.5546000(Hectare)	0.5546000
Village: wadi (NMCT)					
1	49	Private	Dry	0.0668000(Hectare)	0.0668000
2	50	Private	Dry	0.0010000(Hectare)	0.0010000
Total				2.2010	2.2010

[F. No. NH-12014/29/2016-KNT(P-6)/3A4]

RAJESH GUPTA., Dy. Secy.